U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh ¼ Mk0 lfer 'kek] vkb-,-,l-

lquokbl dk vf/kdkj iFke vihy l[;k 03@2020

vihykUV	बनाम	**jLikMUVl**
ईश्वरसिंह पुत्र रणजीतसिंह निवासी–ग्राम थुम्बा, पोस्ट– पादरली, वाया–गुडा बालोतान, तहसील आहोर।		लोक सुनवाई अधिकारी एवं अति0 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, संभाग जोधपुर।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार, 2012 के तहत प्रथम अपील

mifLFkfr¼&&

1. श्री ईश्वर सिंह अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. श्री राजेश कुमार तापेन, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग संभाग, जोधपुर।

fu.k;

fnukd flrEcj]2020

1. अपीलान्ट की ओर से राज0 सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2021 के प्रस्तुत की गई अपील में अति0 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जोधपुर कार्यालय के लोक सुनवाई अधिकारी के समक्ष पूर्व में दिनांक 29.02.2020 को प्रस्तुत किये गये परिवाद का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण नहीं करने पर यह प्रथम अपील दिनांक 14.08.2020 को प्रेषित की गई है।
2. उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं लोक सुनवाई अधिकारी (अति0 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जोधपुर) से इस सम्बन्ध में उनकी मूल पत्रावली तलब की गई एवं अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई।
3. दिनांक 08.09.2020 को अपीलान्ट एवं श्री राजेश कुमार तापेन, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग संभाग, जोधपुर को अपील पर व्यक्तिशः सुना गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार यह कथन किया गया कि भूमि किस्म परिवर्तन, अर्थात कमाण्ड से अनकमाण्ड एवं

अनकमाण्ड से कमाण्ड में दर्शाने का अधिकार राज0 उपनिवेशन (जवाई विक्रय) नियम 1978 के नियम तृतीय के अनुसार जल संसाधन विभाग को है। किसी सिंचाई परियोजना के तहत सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत को कमाण्ड अथवा डी कमाण्ड करने बाबत प्रस्ताव प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा उप सचिव, राजस्व (उप निवेशन) विभाग राज0 जयपुर को प्रेषित किये जाते है जिनके द्वारा भूमि को कमाण्ड अथवा डी कमाण्ड की कार्यवाही की जाती है।

4. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जवाई वृहद परियोजना जिला पाली के नहर प्रणाली से राजस्व भूमि वर्गीकरण के अनुसार सिंचाई के अधिकृत है उसी अनुरूप सिंचाई बाराबंदी सूचना पूर्ति को लेकर मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर के अपील निर्णय 01/2012 में जवाई बॉध की जल वितरण समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की अक्षरशः पालना के निर्देश दिये गये एवं अपील निर्णय संख्या 01/2013 में जवाई वृहद परियोजना जिला पाली के सम्बन्धित सिंचाई विभाग सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत जारी अधिसूचना व राजपत्र में प्रकाशन को लेकर सम्बन्धित दस्तावेज की सूचना पूर्ति करने का निर्णय दिया गया कि राजस्व (उप निवेशन) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.19(20)राज/उप/89 दिनांक 8.6.1989 पर क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सिंचित क्षेत्र (सीसीए) भूमि वर्गीकरण (नहरी प्रथम व नहरी द्वितीय) के अनुसार सम्मिलित किये गये गांवों के नाम, खसरा नं0 व रकबा की सूचना पूर्ति सिंचित क्षेत्र मानते हुए की गई है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जवाई बॉध नहर प्रणाली से बारानी, बंजर, गैर मुमकीन सिवायचक व चाही सिंचाई बाराबंदी से सिंचित होती आ रही है। जल वितरण समिति की बैठक में सिंचित क्षेत्र जवाई नहरी भूमि को सिंचाई पानी देने का निर्णय लिया जाता रहा है। जवाई नहर खण्ड कार्यालय सुमेरपुर द्वारा सेवानिवृत भू0अ0निरीक्षक को जवाई क्षेत्र कमाण्ड हेतु जारी बारांदी उल्लेखित खसरा नम्बर की भूमि की किस्म को चिन्हित किये जाने का कार्य आंवटित किस्म को चिन्हित किया गया जिस पर जवाई नहर खण्ड कार्यालय सुमेरपुर के क्रमांक राज/2012–13/1154 दिनांक 15.05.2012 को मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत पाली को प्रेषित किया गया था। जिस पर अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत पाली के क्रमांक

टीएफ/जवाई कमाण्ड/2012/1712 दिनांक 29.05.2012 को अति0 मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग जोधपुर को सक्षम स्वीकृति हेतु प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही के आग्रह किया गया था जो विधि को ताक पर रखकर अभी तक सक्षम स्वीकृति अपेक्षित है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि राज0 उपनिवेशन (जवाई विक्रय) नियम 1978 के नियम तृतीय के अनुसार जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर के प्रस्ताव पर सिंचित क्षेत्र से वंचित अनकमाण्ड राजस्व उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.07.1984 व क्रमांक प.21(1)राज/उप/76/जयपुर दिनांक 12.10.1987 जवाई वृहद परियोजना के गांवा चांदराई व उखरडा के खसरा नम्बरों को अनकमाण्ड किया गया था। जिला जालोर तहसील आहोर के 25 ग्रामों में से 22 गांवों को कमाण्ड क्षेत्र में रखने की अधिसूचना दिनांक 08.06.1989 को जारी की गई। इसी के तहत जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर के पत्रांक राज0/2010–11/6954 दिनांक 25.01.2011 के अनुसार जवाई नहर किस्म भूमि में नियमानुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर के क्रमांक राज/2010–11/5005 दिनांक 19.10.2011 में बाराबंदी शुद्धिकरण जैसे बंजर, गोचर ओरण व बारानी सहित अन्य भूमियों को बाराबंदी से हटाने के संदर्भ में, तथा पत्रांक 1154 दिनांक 15.15.2012 में जवाई नहरी भूमि (किस्म) को सिंचाई बाराबंदी दिये जाने की अक्षरशः पालना की जानी है। बाराबंदी से हटाने को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था।

8. अपीलान्ट ने उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रार्थना के रूप में यह भी कथन किया कि अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत पाली के क्रमांक टीएफ/जवाई कमाण्ड/2012/1712 दिनांक 29.05.2012 में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जयपुर से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने का श्रम करावे ताकि तदनुसार कार्यवाही की जा सके, जो अभी तक अपेक्षित है।

9. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर के क्रमांक राज/2014–15/1454 दिनांक 07.09.2014 में दर्शाया गया कि आने वाले वर्षो में यदि बांध में पानी की आवक होती है तो नहरी प्रथम व द्वितीय के अलावा सभी किस्मों को हटा दिया जायेगा।

10. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जयपुर के क्रमांक pti/Gen/c.m./CEWR/SE(vs) जोध/2017 /3639 दिनांक 30.05.018 प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन डायरी क्रमांक 1554732 दिनांक 20.6.2017 व 21.6.2017 सिंचित क्षेत्र के अनुसार बाराबंदी का भौतिक सत्यापन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन पर वांछित विभागीय टिप्पणी जवाई बॉध से सिंचित क्षेत्र में आने वाले सभी खसरे जिनकी किस्म जवाई नहर में दर्ज है, के अलावा अन्य खसरे जिनकी किस्म जवाई नहरी में दर्ज नहीं है, को बाराबंदी से हटाया जाकर संशोधित बाराबंदी अनुमोदन के पश्चात, संशोधित व प्रस्तावित बाराबंदी को अंतिम मानकर अनुमोदन करवाकर आगामी रबी फसल हेतु जारी किया जाना प्रस्तावित है।

11. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जयपुर के क्रमांक pti/58/ Gen/मु0अ0/ज0स0/विस/जोध/2013/ 7133 दिनांक 18.10.2019 व क्रमांक 7463 दिनांक 7.11.2019 को अग्रिम कार्यवाही की जाकर राज0 सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके। राज0 सरकार को वांछित टिप्पणी प्रेषित पिटीशन की अनुपालना में जल उपभोक्ता संगम–12 तख्तगढ द्वारा जवाई नहरी भूमि किस्म के अनुसार दिनांक 1.11.2019 से बाराबंदी जारी कर दी गई।

12. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत पाली के क्रमांक राज/2019–20/ 12670 दिनांक 4.11.2019 को उखरडा गांव के बारानी किस्म की भूमि के रकबे के अलावा भी जवाई बॉध कमाण्ड क्षेत्र की बाराबंदी में कुछ बारानी किस्म की भूमि विगत कई वर्षो से लगातार सिंचित हो रही को दर्शाते हुए बाराबंदी में शामिल करने को लेकर अनुशंषा करने पर कार्यालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के पत्रांक एफ/सामान्य/ जवाई बांध/19/984 दिनांक 5.11.19 की पालना में जल सहभागिता अधिनियम 2000 की धज्जिया उडाते हुए विधि व राज्य सरकार को प्रेषित पिटीशन की टिप्पणी को ताक में रखकर सिंचाई कार्यक्रम के बीच में बाराबंदी जारी कर नियमों, कर्तव्योंव दायित्व की अवहेलना की गई है।

13. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अनकमाण्ड से कमाण्ड दर्शाने को लेकर राज0 उपनिवेशन (जवाई विक्रय) नियम 1978 के नियम तृतीक के अनुसार

जवाई बॉध वृहद परियोजना में जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर द्वारा सिंचित क्षेत्र विस्तार को लेकर कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये है। एवं न ही सिंचित क्षेत्र विस्तार को लेकर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

14. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत पाली क्रमांक टीएफ/जवाई कमाण्ड/2012/1717 दिनांक 29.05.2012 को प्रेषित अति0 मुख्य अभियन्ता जल संसाधन जोधपुर अनुसार जवाई बांध से सिंचाई हेतु जारी बाराबंदी में सम्मिलित जवाई नहरी किस्म के अतिरिक्त अन्य किस्म भूमि की बाराबंदी किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्वीकृति हेतु 07 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। सक्षम स्वीकृति अभी तक अपेक्षित है जिस पर निर्णायक कार्यवाही अमल करावें।

15. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जालोर जिले की आहोर तहसील में भू प्रबन्धन संक्रियाओं का कार्य पूर्ण होकर अधिसूचना दिनांक 23.04.1984 को उदघोषित की गई थी जबकि राज0 उपनिवेशन (जवाई विक्रय) नियम 1978 के नियम तृतीय के अनुसार जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर के प्रस्ताव पर सिंचित क्षेत्र से वंचित अनकमाण्ड राजस्व उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.07.1984 व क्रमांक प.21(1)राज/उप/76/जयपुर दिनांक 12.10.1987 को अनाकमाण्ड की उदघोषणा की गई है। आहोर तहसील के 25 ग्रामों में से 22 गांवों को ही कमाण्ड क्षेत्र में रखने को लेकर राज0 उपनिवेशन अधिनियम की धारा 2 के खण्ड द्वितीय में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8.6.1989 को जवाई वृहद परियोजना के 22 गांवों के लिये अधिसूचना उदघोषित की गई थी। जबकि राजस्व न्यायालयों द्वारा विधि को ताक पर रखकर कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण कर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि वर्ग परिवर्तन के आक्षेप लगाकर वर्ग परिवर्तन किया जा रहा है। राजस्व न्यायालयों में दर्ज वाद भूमि परिवर्तन भू–प्रबन्ध संक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद निर्धारित नियमों की प्रक्रिया के अनुसार अनकमाण्ड अधिसूचना उदघोषित कर दिया गया है। बारानी भूमि को लेकर कई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है जिसमें जल संसाधन विभाग द्वारा मजबूत पक्ष नहीं रखने से विधि की अवहेलना हो रही है।

16. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जयपुर के क्रमांक pti/Gen/c.m./CEWR/SE(vs) जोध/2017 /3639

दिनांक 30.05.018 प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन डायरी क्रमांक 1554732 दिनांक 20.6.2017 व 21.6.2017 सिंचित क्षेत्र के अनुसार बाराबंदी का भौतिक सत्यापन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन कर वांछित विभागीय टिप्पणी के अनुसार क्रियान्वयन किया जायेगा। जबकि सिंचाई कार्यक्रम के बीच राज्य सरकार को प्रेषित पिटीशन में वांछित टिप्पणी की अवमानना कर कृषक सिंचाई सहभागीता अधिनियम 2000 व नियम 2002 की धज्जिया उडाते हुए जल संसाधन विभाग की अनुशंषा पर संभागीय आयुक्त के आदेश क्रमांक 984 दिनांक 5.11.2019 के निर्देशों की पालना में अनकमाण्ड बारानी भूमि को बिना हस्ताक्षर की बाराबंदी जारी कर विधि की अवहेलना की गई।

17. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जवाई वृहद परियोजना में प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर के क्रमांक प.6 (20) अनु/ 03/93 जयपुर दिनांक 15.9.2003 के अनुसार जल वितरण समिति के कार्य के अनुसार पेयजल व सिंचित क्षेत्र के पानी की मात्रा निर्धारण करना मुख्य कार्य है। जिसमें कार्यकलाप वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 6 तक के अनुरूप अक्षरशः पालना एवं अनुरूप बैठक कार्यवाही प्रोसेडिंग निर्णय लिया जाना है। जबकि लगातार जवाई नहरी भूमि को सिंचित क्षेत्र मानकार प्रोसेडिंग लिखी जाती है जिसमें कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण वर्ष 2017–18 में अनकमाण्ड बारानी भूमि वर्ग को सिंचाई पानी देने का निर्णय लिया गया, सिंचित क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना उदघोषित कर किया गया है।। जल वितरण समिति के कार्यकलापों का अतिक्रण नहीं किया जावें। जिसके लिये जवाबदेही निर्धारित करावें।

18. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जवाई बॉध से निर्माण से आज तक अनकमाण्ड से कमाण्ड में दर्शाने (सिंचित क्षेत्र विस्तार) को लेकर राज0 उपनिवेशन (जवाई विक्रय) नियम 1978 के नियम 3 (तृतीय) के अनुसार सिंचित क्षेत्र विस्तार को लेकर प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये, न ही सिंचित क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना उदघोषित हुई है। अपीलान्ट ने अन्त में यह कथन किया किया कि उपरोक्तानुसार बिन्दुओं का बिन्दुवार निस्तारण करावें। अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में जारी विभागीय पत्रों, अधिसूचनाओं इत्यादि दस्तावेजों की प्रतियॉ अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित की।

19. प्रत्यथी विभाग उपस्थित अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की अपील में प्रार्थना के रूप में दर्शाये बिन्दुओं के सम्बन्ध में बिन्दुवार टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए **fcUn| l|[;k ,d** के सम्बन्ध में कथन किया कि जवाई बॉध से सिंचाई हेतु जारी बाराबंदी में सम्मिलित जवाई नहरी किस्म के अतिरिक्त अन्य किस्म भूमि की बाराबंदी किये जाने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्त, जल संसाधन वृत पाली द्वारा कार्यालय पत्रांक 1712 दिनांक 29.5.2012 द्वारा अति0 मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग जोधपुर से सम्बन्धित विषय में मार्गदर्शन चाहा गया था। अति0 मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग जोधपुर द्वारा मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग जयपुर के दिनांक 27.10.2012 द्वारा मार्गदर्शन दिया जाकर स्थिति स्पष्ट कर दी जिसमें यह उल्लेख था कि ''किसी सिंचाई परियोजना के सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि को कमाण्ड अथवा डी कमाण्ड करने बाबत प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा उप शासन सचिव राजस्व (उपनिवेशन) विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जाते है जिनके द्वारा भूमि को कमाण्ड अथवा डी कमाण्ड घोषित कर उदघोषणा की जाती है।''

20. प्रत्यर्थी विभाग अधिकारी द्वारा **fcUn| l|[;k nks d|** सम्बन्ध में यह कथन किया गया कि प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक प.6 (20) अनु–3/93 जयपुर दिनांक 15.9.2003 के अनुसार वृहद सिंचाई परियोजना जिसमें दो या दो से अधिक जिलों में जल वितरण होता है जिसमें संभागीय आयुक्त अध्यक्ष घोषित है अतः जवाई बॉध से जल वितरण हेतु संभागीय आयुक्त ने अपने पत्रांक एफ/सामान्य/जवाई बांध/19/984 दिनांक 5.11.2019 के द्वारा निर्देशित किया गया कि ''जल वितरण समिति की बैठक दिनांक 11.10.2019 में लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2017–18 की बाराबंदी को आधार मानते हुए उखरडा ग्राम की बारानी किस्म की भूमि को भी पूर्व की भांति इस वर्ष भी जल वितरण किया जाना सुनिश्चित करावें।'' जिसकी पालना में प्रथम पाण के दौरान संशोधित बाराबंदी जारी कर उखरडा गांव की बारानी भूमि को सिंचाई हेतु पानी दिया गया है। नवीनतम गजट नोटिफिकेशन 1989 की सूची में उखरडा ग्राम व सम्बन्धित बारानी खसरे कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित है।

21. प्रत्यर्थी विभाग अधिकारी द्वारा **fcUn| l|[;k rhu** के सम्बन्ध में यह भी कथन किया गया कि जालोर जिले की तहसील आहोर में भू प्रबन्धन संक्रियाओं

का कार्य पूर्ण होकर अधिसूचना दिनांक 23.54.84 को उदघोषित की गई है। जबकि राज0 उपनिवेशन (जवाई विक्रय) नियम 3 तृतीय के अनुसार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.7.1984 व 12.10.1987 को अनकमाण्ड की उदघोषणा की गई है। राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1984 की धारा 2 के खण्ड द्वितीय के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.7.1984 व 12.10.1987 के अतिक्रमण में दिनांक 8 जून 1989 को जवाई वृहद परियोजना के तहत जालोर जिले के 22 गांवों को सिंचाई के लिये अधिसूचना घोषित की गई थी।

22. प्रत्यर्थी विभाग अधिकारी द्वारा **fcUnq l[;k pkj** के सम्बन्ध में यह कथन किया गया कि प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक प.6 (20) अनु–3/93 जयपुर दिनांक 15.9.2003 के अनुसार वृहद सिंचाई परियोजना जिसमें दो या दो से अधिक जिलों में जल वितरण होता है जिसमें संभागीय आयुक्त अध्यक्ष घोषित है, उनके निर्णय अनुसार एवं राज0 कृषक सहभागिता अधिनियम 2000 धारा 17 (ए) के तहत सिंचाई परियोजनाओं में बाराबंदी का दायित्व जल उपयोक्ता संगम का है। अतः बाराबंदी सम्बन्धित जल उपयोक्ता संगम द्वारा ही की जाती है।

23. प्रत्यर्थी विभाग अधिकारी द्वारा **fcUnq l[;k ikp** के सम्बन्ध में यह कथन किया गया कि जवाई बांध में उपलब्ध जल वितरण हेतु संभागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता में जल वितरण समिति में लिये गये निर्णयानुसार पेयजल व सिंचाई हेतु जल का आरक्षण तय किया जाता है। तत्पश्चात सिंचाई हेतु आरक्षित जल को आनुपातिक रूप से सभी 15 कार्यरत जल उपयोक्ता संगमों में बाराबंदी तैयार कर वितरण किया जाता है। एवं बाराबंदी में सम्मिलित कृषकों को सिंचाई हेतु निर्धारित मात्रा अनुसार पानी उपलब्ध करवाया जाता है। जवाई बांध वृहद परियोजना का जालोर जिले का कमाण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 8.6.1989 से निर्धारित है।

24. प्रत्यर्थी विभाग अधिकारी द्वारा यह भी कथन किया गया कि वर्तमान में बांध का कमाण्ड उक्त अधिसूचना के अध्यधीन है एवं अनकमाण्ड बारानी के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 3821 दिनांक 27.10.2012 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही का उल्लेख करते हुए यानि

किसी परियोजना के सिंचित क्षेत्र को बढाने, घटाने अथवा नया सिंचित क्षेत्र उदघोषित करने सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट की गई है। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा जो बिन्दु उठाये गये है उनमें प्रत्यर्थी विभाग यानि अति0 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, संभाग जोधपुर के स्तर पर कोई कार्यवाही लम्बित नहीं की गई है और न ही किसी प्रकार की वैधानिक अथवा त्रुटिपूर्ण कार्यवाही सम्पादित की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावें।

25. हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील, पूर्व में प्रस्तुत परिवाद एवं लोक सुनवाई अधिकारी (अति0 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, संभाग जोधपुर) की टिप्पणी, अन्य उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत परिवाद के समस्त तथ्यों को पुनः उल्लेख किया गया एवं जल संसाधन विभाग की ओर से सम्पादित कार्यवाहियों इत्यादि का उल्लेख किया है। अपीलान्ट/परिवादी की ओर से अपनी प्रार्थना में उठाये गये बिन्दुओं में बिन्दु संख्या एक के अनुसार जवाई बांध से सिंचाई हेतु जारी बाराबंदी में सम्मिलित जवाई नहरी किस्म के अतिरिक्त अन्य किस्म की भूमि की बाराबंदी किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन की सक्षम स्वीकृति अपेक्षित होना बताया होना जबकि प्रत्यर्थी विभाग के अनुसार उक्त प्रकार के मार्गदर्शन जारी होना बताया यानि ''किसी सिंचाई परियोजना के सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि को कमाण्ड अथवा डी कमाण्ड करने बाबत प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा उप शासन सचिव राजस्व (उपनिवेशन) विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जाते है जिनके द्वारा भूमि को कमाण्ड अथवा डी कमाण्ड घोषित कर उदघोषणा की जाती है।'' ऐसे में उक्त कार्य प्रत्यर्थी विभाग के स्तर से होना अपेक्षित नहीं है।

26. अपीलान्ट की अपील के प्रार्थना में अंकित द्वितीय बिन्दु अनुसार बारानी भूमि को लेकर कई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है जिसमें जल संसाधन विभाग द्वारा मजबूत पक्ष नहीं रखने से विधि की अवहेलना होना दर्शाया है। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग की ओर से राजस्व न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करावें।

27. अपीलान्ट की अपील के प्रार्थना में अंकित तृतीय बिन्दु अनुसार संभागीय आयुक्त के आदेश क्रमांक 984 दिनांक 5.11.2019 के निर्देश की पालना में अनकमाण्ड बारानी भूमि को बिना हस्ताक्षर की बाराबंदी जारी कर विधि की अवहेलना होना बताया है, इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 15.9.2003 के अनुसार वृहद सिंचाई परियोजना जिससे दो से अधिक जिलों में जल वितरण होता है जिसमें संभागीय आयुक्त अध्यक्ष है, उनके निर्णय अनुसार एवं राज0 कृषक सहभागिता अधिनियम 2000 धारा 17 (ए) के तहत सिंचाई परियोजनाओं में बाराबंदी का दायित्व जल उपयोक्ता संगम का है अतः बाराबंदी सम्बन्धित जल उपयोक्ता संगम द्वारा ही की जाती है।

28. अपीलान्ट की अपील के प्रार्थना में अंकित चतुर्थ बिन्दु अनुसार जवाई नहरी भूमि को सिंचित क्षेत्र मानकर सिंचाई पानी देने बाबत आपत्ति की गई है, जवाई बॉध में उपलब्ध जल वितरण हेतु संभागीय आयुक्त जोधपुर की अध्यक्षता में जल वितरण समिति में लिये गये निर्णयानुसार पेयजल व सिंचाई हेतु जल का आरक्षण तय किया जाता है तत्पश्चात सिंचाई हेतु आरक्षित जल को आनुपातिक रू‍प से सभी 15 कार्यरत जल उपयोक्ता संगों में बाराबंदी तैयार कर जल वितरण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त जवाई बांध वृहद परियोजना का जालोर जिले का कमाण्ड राज्य सरकार की अधिसूचना 8.6.1989 से निर्धारित किया हुआ है एवं वर्तमान में बॉध का कमाण्ड उक्त अधिसूचना के अधिन है तथा भूमि को अनकमाण्ड बारानी बदले जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर के पत्रांक 3821 दिनांक 27.10.2012 के अनुसार जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्व विभाग जयपुर को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर भूमि को कमाण्ड व अनकमाण्ड घोषित किया जा सकता है।

29. अपीलान्ट की अपील के प्रार्थना में अंकित पंचम बिन्दु अनुसार जवाई बॉध निर्माण से आज तक अनकमाण्ड से कमाण्ड में दर्शाने को लेकर प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जाने व कोई अधिसूचना उदघोषित किये जाने का उल्लेख किया है। यह बिन्दु बिन्दु संख्या 04 के पैरा 2 के अनुसार निस्तारण किया जा चुका है।

¼Mk0 lfer 'kek½
fMoh tuy dfe'uj]
tk/kiqj